हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्त्वपूर्ण सूचना

हरियाणा राज्य के सभी सैकेण्डरी/सी0 सैकेण्डरी अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों का दिनांक 27.01.2022 से मूल रिकार्ड देखने का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा यह कार्य दिनांक 30.01.2022 तक सम्पन्न होगा। विद्यालयों के देखे गए रिकार्ड की तिथि से अगले दिन ही Affiliation फीस हेतु फर्म द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है तथा विद्यालयों द्वारा ऑन–लाईन ही Affiliation फीस भरी जानी है। विद्यालयों के देखे गए रिकार्ड एवं Affiliation फीस भरने उपरांत ही उसी दिन को एनरोलमैन्ट हेतु पोर्टल खोला जाएगा। एनरोलमैन्ट की राशि बिना विलम्ब शुल्क एक मुश्त निम्न विवरण अनुसार भरी जानी है। उसके बाद पोर्टल बन्द हो जाएगा जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होंगे:–

कक्षा	एनरोलमैन्ट शुल्क	अन्य राज्य/बोर्ड से आए छात्रों हेतु एनरोलमैन्ट शुल्क	प्रश्न–पत्र शुल्क नया एनरोलमैन्ट	रजिस्ट्रेशन शुल्क (केवल उन छात्रों द्वारा जिनका एनरोलमैन्ट पूर्व में हो चुका है)
नौवीं	150/–रू0 प्रति छात्र	200/–रू0 प्रति छात्र	50/–रू0 प्रति छात्र	....
दसवीं	150/–रू0 प्रति छात्र	200/–रू0 प्रति छात्र	....	....
ग्यारवीं	150/–रू0 प्रति छात्र	200/–रू0 प्रति छात्र	50/–रू0 प्रति छात्र	100/–रू0 प्रति छात्र प्रश्न–पत्र शुल्क सहित
बारहवीं	150/–रू0 प्रति छात्र	200/–रू0 प्रति छात्र	....	....

सर्वप्रथम बोर्ड से Enrolled हुए परीक्षार्थियों की कक्षा ग्यारहवीं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस एवं प्रश्न–पत्र शुल्क 100/–रू0 जमा होगी। तदोपरांत अन्य हेतु उक्त विवरण अनुसार फीस ली जाएगी। तदोपरांत कक्षा नौवीं से बारहवीं के एनरोलमैन्ट हेतु प्रक्रिया संस्था के द्वारा की जानी है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 97286–66953 या 01664–254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664–244171 से 176 Ext. 164 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई–मेल **enrollmentbsehhelp@gmail.com** तथा asenr@bseh.org.in पर ई–मेल भेजी जा सकती हैं।

हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तो की पालना करना सुनिश्चित करें।

1. सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के "एनरोलमेंट रिटर्न" के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन–लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है।

2. इस समय कक्षा नौंवी से बारहवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमैंट आवेदन किए जाने है, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए प्रवेश दिया गया है।
3. विद्यार्थियों की नवीनत्तम फोटो "विद्यालय वर्दी" में तिथि सहित होनी चाहिए।
4. जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है उनके एनरोलमेंट आवेदन फार्म दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
5. विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत उनमें किसी प्रकार की त्रुटि का विद्यालय द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी त्रुटि में संशोधन के लिए बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड **Withdrawal Register, Attendance Register, S.L.C./ Previous year Result** व **Admission Form** के साथ–साथ इन सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करके ऑफ–लाईन संशोधन करवाना होगा और प्रति त्रुटि निर्धारित शुल्क 300/–रू0 अदा करना होगा।
6. बोर्ड की वैबसाईट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :–

CERTIFICATES:-

(i) The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students have been made in time.

(ii) The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.

(iii) It has been checked that the students admitted have not been disqualified by any Board/University of India.

(iv) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.

a. **The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left over.**

(v) We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found the School will be responsible.

(vi) It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified by our school and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible.

(vii) Certified that the school/institute will be responsible for admitting students from fake boards/boards not having equivalency with Board of School Education Haryana, Bhiwani

7. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी छात्र को एनरोलमैन्ट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया (जैसे एस0एल0सी0/टी0सी0 बोगस पाए जाते है) है तो उस छात्र की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरोलमैंट विनियम 21 के अंतर्गत एक लाख रू0 (100000/–रू0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू0 (300000/–रू0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर दी जायेगी।

8. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

9. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।

10. शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए कक्षा नौंवी से बारहवीं के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है ।

11. छात्र के पिता का आधार नम्बर भी भरें । यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें । <u>अन्य राज्य से आने वाले छात्रों की **SLC/TC** आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमैंट **Online Portal** पर **Upload** करना अनिवार्य होगा । **SLC/TC** अपलोड नहीं किये जाने पर एनरोलमैंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा ।</u>

12. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के एनरोलमैन्ट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में <u>एक बार (एकमुश्त) ही ऑन–लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन–पत्र ऑफ–लाईन स्वीकार नही किया जायेगा।</u>

13. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमैंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापिसी हेतु एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर–अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना–पत्र ई–मेल <u>asenr@bseh.org.in</u> पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमैंट शुल्क वापिसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

14. एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डों से आए नौंवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के एनरोलमैंट करने उपरान्त मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के एनरोलमैंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें S.L.C/T.C की जाँच करने उपरान्त ही स्थाई माना जाएगा। जाँच में Bogus/Fake पाए जाने

पर एनरोलमैंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं संस्था के विरूद्ध विनियम–21 (i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

नोट :–

1. सत्र 2021–22 कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

उपरोक्त वर्णित के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं एनरोलमैंट रिटर्न बारे लिंक **https://school.bseh.net/** बोर्ड की वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर उपलब्ध हैं ।

सहायक सचिव (एनरोलमैंट)
कृते : सचिव